

### छत्तीसगढ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड,

(A GOVERNMENT OF C.G.UNDERTAKING) (A SUCCESSOR COMPANY OF CSEB)

CIN: U40108CT2003SGC015821

## कार्यालय-मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण) विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान, कोरबा पूर्व

कमांक / 20-02 / पीजीटीआई / ए.पी.टी. / 🖇 💍

कोरबा पूर्व, दिनांक 16-1-2023

#### विज्ञापन

आपरेंटिसिशप एक्ट 1961 (Ads amended in 1973, 1986 & 2014) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2023—24 के लिये निम्नलिखित संकायों में आई.टी.आई. योग्यताधारियों को एक वर्षीय आप्रेंटिसिशप प्रशिक्षण (Apprenticeship Training) हेतु नियोजित किये जाने है जो निम्नानुसार है :—

(01) आई.टी.आई. ट्रेड आप्रेंटिस :-

कमांक	ट्रेड	प्रशिक्षुओ की संख्या	अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षुवृत्ति की दर
01	Electrician	35	मान्यता प्राप्त	रूपये 7,000 /-
02	Fitter	30	संस्थान से संबंधित	प्रतिमाह
03	Building Maintenance Tech.	05	संकाय में आई.टी.	
04	Machinist	04	आई. पत्रोपाधि उत्तीर्ण ।	1
05	Turner	05		
06	Welder	20		-
07	Wireman	06		
	Total	105		1

उपरोक्त शैक्षाणिक योग्यता धारक उम्मीदवारो से (Apprenticeship Training) प्रशिक्षण हेतु आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाते है ।

### नियम एवं शर्ते :--

- 01. आरक्षण :— उम्मीदवारो का चयन छ.ग. शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा ।
- 02. चयन प्रकिया :-- पात्र उम्मीदवारों का चयन अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको एवं साक्षात्कार मे प्राप्त अंको के आधार पर किया जावेगा ।
- 03. उम्मीदवारों का (Apprenticeship) प्रशिक्षण मात्र एक वर्ष की अवधि के लिये होगी प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड मे अस्थाई / स्थाई किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे ।

- 04. जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव एक वर्ष या अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था मे प्रशिक्षण कर चुके है / कर रहे है , वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं है ।
- 05. चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं आप्रेंटिसशीप एक्ट 1961 (Amended in 1973, 1986 & 2014) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है । घोषणा पत्र का प्रारूप Contract Registration Form में उपलब्ध है । शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि एक वर्ष से कम अथवा एक वर्ष से तीन वर्ष के बीच हो तो उम्मीदवारों को स्व-शपथ पत्र (Self Affidavit) प्रस्तुत करना होगा कि वे इस अवधि में अन्य किसी जगह कार्यरत् नहीं है (प्रारूप संलग्न) तीन वर्ष से अधिक समय हो चुके उम्मीदवार प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होंगे ।

06. प्रशिक्षुओं (Apprenticeship) को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।

- 07. अभ्यर्थियों को NCVT MIS (NAPS) में अपना Registration करवाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में वैध Registration Number अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा ।
- 08. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व—सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा :—
  - (i) संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र ।
  - (ii) संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र ।
  - (iii) 10 वीं एवं 12 वीं की अंक सूची की छायाप्रति ।
  - (iv ) अर्हकारी परीक्षा आई.टी.आई. अंक सूची की छायाप्रति ।
  - (v) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छ.ग. शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थाई जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
  - (vi) छ.ग. राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति ।
  - (vii) आधार कार्ड की छाया प्रति ।
- (viii) National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) का Registration Number. 09. आवेदन करने की अंतिम तिथि कंपनी की वेबसाईट www.cspc.co.in में प्रकाशन तिथि से 60 दिनों के भीतर डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में ( कार्यालयीन समय सुबह 10.00 बजे से शाम 05.30 बजे तक ) जमा कर सकते है । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
- 10. आवेदन-पत्र संलग्न प्रारूप मे प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति सहित अंतिम तिथि तक निम्न पते पर प्रेषित / जमा करें :--

कार्यालय—मुख्य अभियंता ( प्रशिक्षण ) , विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान , छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड , कोरबा पूर्व , जिला – कोरबा (छ.ग.) 495677

11. अन्य नियम एवं शर्ते आप्रेंटिसशीप एक्ट 1961 (As amended in 1973, 1986 & 2014) के तथा समय-समय पर जारी संशोधनों के अधीन होगी ।

मुर्ख्य अभियता ( प्रशिक्षण ), पी.जी.टी.आई., छ.रा.वि.उत्पा.क.मर्या.,कोरबा (पूर्व )

# अप्रेन्टिसशिप एक्ट 1961 (Ads amended in 1973 , 1986 & 2014 ) के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अप्रेन्टिशिप हेतु आवेदन पत्र

( आवेदन पत्र में सभी जानकारी स्पष्ट अक्षरों मे भरें । जो जानकारी लागू नही उसे काट दें )

\*\*\*\*\*\*

प्रति ,						
मुख्य अभियंता ( प्रशि पी.जी.टी.आई., छत्तीसगढ़ स्टेट पॉ कोरबा पूर्व ( छत्तीस	वर जनरेशन कंपनी	लिमिटेड ,			पासपोर्ट : का फो	350
01. आवेदित अप्रेंटिसशिप:	ग्रेज्युएट(तकनीकी /	गैर तकनी	ोकी) / डिप	लोमा / अ	ाई.टी.आई	अप्रेंटिस
<ul> <li>02. NATS/NAPS Registra</li> <li>03. ब्रॉच / ट्रेड</li> <li>04. नाम (हिंदी में )     (अंग्रेजी में )</li> <li>05. पिता का नाम</li> <li>06. आधार कार्ड नम्बर</li> <li>07. जन्म तिथि     (हाई स्कूल का प्रमाण पत्र संल</li> <li>08. आयु 01.04.2023 को</li> </ul>	ग्न करें )	: : : :दिनांक		 माह	 	
०९. पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान						
10. स्थाई पता (पिन कोड	:-					
11. राष्ट्रीयता 12. श्रेणी : अनारक्षित्र	:- /अनु.जाति /अनु.ज					
13. शैक्षणिक अर्हता (न्यूनतः	म योग्यता से शुरू व	करें ) :				<sub>1</sub>
उर्तीर्ण परीक्षा का क. नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय नाम	का	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	कुल प्राप्तांक	प्रतिशत
			34			×

14. क्या आप विवाहित है (हॉं / नहीं)	<u>:</u>					
15. फोन / मोबाईल नम्बर	:					
16. ई—मेल पता	:					
17. संलग्नो की सूची	: (01.)					
	: (02.)					
	: (03.)					
	: (04.)					
	: (05.)					
	: (06.)					
	आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर					
	( नाम)					
घोषणा						
单	घोषणा					
करता / करती हूँ कि मैंने पूर्व मे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 (amended in 1973, 1986 & 2014) के तहत अप्रेंटीस प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया / की हूँ । मै यह भी घोषणा भी करता / करती हूँ कि इस आवेदन मे दिये गये सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य , पूर्ण एवं सही है एवं अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए मै निर्धारित योग्यता रखता / रखती हूँ । मुझे जानकारी है कि इसमे दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत , असत्य या अपूर्ण पाये जाने पर मेरा आवेदन बिना किसी पूर्व सूचना के रदद या निरस्त किया जा सकता है ।						
दिनांक						
स्थान	,					
	आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर					
	( नाम)					